न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
233 / 2025

दायर दिनांक
01.05.2025

निर्णय दिनांक
05.06-2025

1. श्री केशर पुत्री नाराण बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. गट्टू बाई पत्नी स्व0 भागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. डाली पुत्री नाराण बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. तुलछी पुत्री भागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. नन्दु पुत्री भागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. भैरू पुत्र नाराण बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. रूपा पुत्र गोकल बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. रामलाल पुत्र भागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. सुगना पुत्री नाराण बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सुरजमल पुत्र गोकल बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. हीरू पुत्री भागीरथ बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू पुत्र छोगा जाट, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. हीरा पुत्र देवी जाट, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामेश्वर पिता बगतावर जाट निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. भैरू पुत्र नारू जाट, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. मूला पुत्र नानू गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. अणछी पत्नी भैरू गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. गुलाब पुत्र हजारी गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. तुलसीराम पुत्र नन्दा गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. जोधा पुत्र गोरू गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. किशन पुत्र भैरू तेली, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. कालू पुत्र मांगु बैरवा, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. हजारी पुत्र भैरू तेली, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. शंकरलाल पुत्र भीमा तेली, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. सोसी पत्नी भैरू गाडरी, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
15. सोहन पुत्र गोकल गाडरी, निवी गाडरीखेडा गांधीनगर भीलवाडा।
16. कालूराम पुत्र नन्दा बैरवा, निवासी राजियास, तहसील गंगराम जिला चित्तौडगढ।
17. मूलचन्द पुत्र प्रताप रेगर, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
18. सुवालाल पुत्र बालूलाल भील, निवासी मोटरों का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
19. मूला पुत्र हरलाल रेगर, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
20. नगर विकास न्यास, जरिये सचिव।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री प्रकाश देवाणी उपस्थित। — विपक्षीगण
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरडा, पटवार हल्का गठिलाखेडा भू अ. नि. क्षेत्र आटुण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 392 में खसरा नम्बर 27 रकबा 0.8093 हैक्टेयर खसरा नम्बर 28 रकबा 0.3920 हैक्टेयर खसरा नम्बर 29 रकबा 0.7334 हैक्टेयर खसरा नम्बर 449 रकबा 0.5943 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नम्बर 452 रकबा 0.0506 हैक्टेयर खसरा नम्बर 453 रकबा 0.3667 हैक्टेयर खसरा नम्बर 465 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.0981 हैक्टेयर व खाता संख्या 479 आराजी संख्या 448/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरडा, पटवार हल्का गठिलाखेडा भू अ. नि. क्षेत्र आटुण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 392 में खसरा नम्बर 27 रकबा 0.8093 हैक्टेयर खसरा नम्बर 28 रकबा 0.3920 हैक्टेयर खसरा नम्बर 29 रकबा 0.7334 हैक्टेयर खसरा नम्बर 449 रकबा 0.5943 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नम्बर 452 रकबा 0.0506 हैक्टेयर खसरा नम्बर 453 रकबा 0.3667 हैक्टेयर खसरा नम्बर 465 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.0981 हैक्टेयर व खाता संख्या 479 आराजी संख्या 448/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा